न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पहाडी (डीग) राज0

पीठासीन अधिकारी सुनीता यादव आर0ए0एस

मुकदमा नं0 130/2020

सुस्सन पुत्र चाहत जाति फकीर निवासी खल्लूका तहसील पहाडी

वादी

बनाम

1. ईशब पुत्र धांधू
2. मकसूद पुत्र इमरत
3. नसरू पुत्र जौम खां
4. तैय्यव पुत्र इमरत
5. सौराब पुत्र ईशब
6. सत्तार पुत्र जौम खां
7. जमशेद
8. मुगली पिसरान सौराब
9. अब्बास
10. आबिद पिसरान खिल्लू
11. रज्जन पुत्र जौम खां
12. साहिद पुत्र रूजदार
13. अब्जल पुत्र पहलू
14. पहलू पुत्र माम खां जाति मेवान निवासी खल्लूका तहसील पहाडी

प्रतिवादीगण

15. राजस्थान सरकार जरिये भूमि धारक तहसीलदार साहब तहसील पहाडी

फौरमल प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 183,188 आर0टी0 एक्ट

उपस्थित :– श्री सतीश शर्मा वकील वादी
श्री सतीश बुन्देला वकील प्रतिवादीगण

दिनांक :– 22/05/2024

निर्णय

वादी द्वारा यह दावा विरूद्ध प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा 183, 188 आर0टी0 एक्ट इस आशय के साथ पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर 440/0.55 बांके ग्राम खल्लूका तहसील पहाडी में स्थित है। विवादित आराजी खसरा नम्बर मद नं0 2 वर्णित वाद पत्र का वादी एक मात्र रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार काबिज आराजी है। जिस पर वादी निरन्तर रूप से काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है वादी अकेला गरीब सीधा व्यक्ति है जबकि प्रतिवादीगण गिरोहबन्द व झगडालू किस्म के लोग है तथा वादी की खातेदारी की आराजी से प्रतिवादीगण का दूर–दूर तक कोई भी किसी भी प्रकार का संबन्ध नहीं है। फिर भी प्रतिवादीगण द्वारा वादी की खातेदारी की सम्पूर्ण

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (डीग)

Scanned with OKEN Scanner

आराजी पर लट्ठ व ताकत के बल पर करीब 1 वर्ष पूर्व कब्जा नाजायज कर लिया । वादी अपनी खातेदारी की आराजी में काश्त कर खाने कमाने हेतु बाहर चला गया जिस का फायदा उठाकर प्रतिवादीगण द्वारा वादी की आराजी पर नाजायज कब्जा कर लिया । वादी जब अपने गांव खल्लूका आया तो प्रतिवादीगण जबरदस्ती लठ्ठ व ताकत के बल पर किये गये अवैध कब्जे की जानकारी हुयी तो वादी द्वारा प्रतिवादी से अवैध कब्जा हटाने की कहा तो प्रतिवादीगण ने साफ इंकार कर दिया और झगडा फिसाद करने पर आमदा हो गये तथा अवैध पुख्ता निर्माण करने हेतु ईंट पत्थर बजरी आदि डाल दिये और ऐलानिया कहा कि तू अकेला है हमारे कुछ भी नहीं बिगाड सकता और हम अवैध कब्जा नहीं हटायेगे तथा पक्का निर्माण कर पुख्ता अवैध कब्जा करके रहेगे तथा तुझे गांव से मारपीट कर भगा देगे । वादी को प्रतिवादीगण द्वारा पक्का निर्माण करने की दिनांक 14/10/2020 को ग्राम खल्लूका में स्पष्ट शब्दो में ऐलानिया धमकी दी है। यदि प्रतिवादीगण अपने धमकी भरे इरादे में कामयाब हो गये तो वादी को अपरमित क्षति होगी व भारी मात्रा में नुकसान होगा । जिसकी पूर्ति जरिये नकद से कदापि संभव नहीं हो सकेगी। आराजी मुतदाविया की लैण्ड होल्डर राजस्थान सरकार है जिनके प्रतिनिधि श्रीमान तहसीलदार साहब है क्योकि राजस्व रिकॉर्ड उनकी तहवील में रहता है। इसलिए उन्हे फौरमल पक्षकार बनाया गया है। इनके खिलाफ कोई भी दादरसी नहीं चाही गई है। विनाय मुखास्मत दिनांक 14/10/2020 को ऐलानिया धमकी देने से हदूद अदालत पैदा हुई। प्रतिवादीगण को जरिये डिक्री हुक्म इम्तनाई दवामी से पाबन्द फरमाय जावे कि वे कब्जे काश्त वादी में किसी प्रकार की मजाहमत व मदाखलत नहीं करे एवं आराजी से वादी को बेदखल ना करे मौका व राजस्व रिकॉर्ड यथा स्थिति बनाये रखे ऐसा कोई निर्माण कार्य नहीं करें।

दावा वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण मय वकील न्यायालय में उपस्थित आये । जबाब इस आशय का पेश किया कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र प्रतिवादीगण को तंग व परेशान करने की गरज से प्रस्तुत किया है क्योकि ग्राम खल्लूका में सुस्सन पुत्र चाहत जाति फकीर नाम का कोई व्यक्ति नहीं है और ना ही ग्राम पंचायत भौरी में कभी इस नाम का कोई व्यक्ति था इस विनाय पर दावा वादी काबिले खारिजी है। वादी ने प्रतिवादी संख्या 8,10,13 नाम के कोई व्यक्ति भी नही तो उनके खिलाफ दावा वादी पूर्व से ही अवैध है। आराजी पर प्रतिवादीगण करीब 70–80 वर्षो से अपने बुजुर्गान के समय से ही अपने–अपने मकान बनाकर निवास कर रहे है जो आबादी की भूमि है। जिसमें आज तक कोई काश्त नहीं हुई। उक्त भूमि में करीब 40–50 पुख्ता मकान बने हुये है तथा उस मौहल्ले में प्रतिवादीगण के अलावा अन्य व्यक्ति जिनमें जीमल पुत्र जैन खां, नूरू पुत्र जैन खां , समी खां पुत्र जैन खां ने भी अपने–अपने पुख्ता मकान बना रखे है। वादी का आराजी मुतदाविया पर कोई कब्जा नहीं है। ना ही कोई काश्त की जा रही है। इसलिए आराजी अरसा करीब 70–80 साल से आवासीय भूमि है जिसमें एक बडी आबादी का मौहल्ला बना हुआ है। आराजी मुतदाविया पर ग्राम पंचायत भौरी द्वारा राज्य सरकार की योजना के तहत सम्पूर्ण मौहल्ले में पक्की सडक बनी हुई है जिसे ग्रामीण अपने उपयोग में ला रहे है। इसलिए दावा वादी काबिले खारिजी है। आराजी मुतदाविया आवासीय भूमि है जिसमें प्रतिवादीगण व

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (डीग)

Scanned with OKEN Scanner

अन्य लोगो के काफी आवासीय पक्के मकान अरसा करीब 70 सालो से बने हुये है। जिसके उपरान्त भी वादी का राजस्व रिकॉर्ड बिना कब्जे काश्त नाम होना राजस्व कर्मीयों की कानूनी भूल है। क्योकि वादी का उक्त आराजी पर कभी कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है। अतः जबाब दावा पेश कर निवेदन है कि दावा वादी खारिज फरमाया जावें।

दावा एवं जबाब दावा के आधार पर निम्न तनकियात कायम की गई ।

तनकी संख्या 1 :– आया वादी आराजी मुतदाविया का रिकॉर्डेड खातेदार है।

.....वादी

तनकी संख्या 2 :– आया प्रतिवादीगण द्वारा वादी की आराजी पर कब्जा नाजाइज कर लिया है जिन्हे वादी बेदखल करा पाने का अधिकारी है।

.....वादी

तनकी संख्या 3 :– आया आराजी मुतदाविया पर प्रतिवादीगण का बुजुर्गों के समय से ही अरसा करीब 70–80 वर्षो से आवासीय मकान पुख्ता बने हुये है तथा राज्य सरकार की योजना के तहत पक्की सडक बनी हुई है।

.....प्रतिवादीगण

तनकी संख्या 4 :– आया आराजी मुतदाविया में वादी का राजस्व रिकॉर्ड में बिना कब्जे काश्त नाम होना राजस्व कर्मचारियों की कानूनी भूल है।

.....प्रतिवादीगण

तनकी संख्या 5 :– आया आराजी मुतदाविया करीब 70–80 वर्षो से आवासीय भूमि के रूप में है इसलिए उक्त वाद को श्रीमान्जी को सुनने का क्षेत्राधिकार नही है।

.....प्रतिवादीगण

6 :– दादरसी :–

वादी ने अपने दावा के समर्थन में मौखिक साक्ष्य में पी0डब्लू0 1 सुस्सन पी0डब्लू0 2 रजाक, पी0डब्लू0 3 मुबीन के शपथ पत्र पेश कर बयान कराये। दस्तावेजी साक्ष्य में नकल जमाबन्दी सम्वत 2075 लगायत 2078 पेश की है। वकील प्रतिवादीगण ने अपने मौखिक साक्ष्य में डी0डब्लू0 1 अब्बास, डी0डब्लू0 2 अबुजर , डी0डब्लू03 रज्जन, डी0डब्लू0 4 सौराब, डी0डब्लू0 5 जमशेद, डी0डब्लू0 6 सत्तार, डी0डब्लू0 7रूजदार , डी0डब्लू0 8 आरिफ खान, के शपथ पत्र पेश किये। दस्तावेजी साक्ष्य में नकल मिलान क्षेत्रफल , नकल जमाबन्दी सम्वत 2025 से 2028 और नकल खसरा गिरादावरी 2050–2053, 2058–2061 , 2062–2065 व सम्वत 2076 एवं फोटो प्रति नकल बिजली उपभोक्ता बिल पेश किये।

बहस वकील फरीकेन सुनी गई। बहस में वकील वादी ने अपने दावे में दर्ज तथ्यों को दोहराया तथा वकील प्रतिवादीगण ने अपने जबाब दावा में दर्ज तथ्यों को दोहराया । वकील प्रतिवादीगण ने दौराने बहस न्यायिक दृष्टान्त आर0आर0टी0 2003 (2) पेज संख्या 1157, आर0आर0टी0 2003 (1) पेज 125,

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (डीग)

Scanned with OKEN Scanner

आर0आर0टी0 2011 (2) पेज संख्या 881 , आर0आर0डी0 1992 पेज 79 पेश किये। जो प्रकरण पर बखूबी चस्पा होते है।

हमने वकील फरीकेन की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। तनकीबार विवेचन निम्नानुसार है।

तनकी संख्या 1 :– आया वादी आराजी मुतदाविया का रिकॉर्डेड खातेदार है।

उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर है। पत्रावली में संलग्न नकल जमाबंदी सम्वत 2075–2078 में वादी उक्त विवादित आराजी का रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है। उक्त विवेचन के आधार पर तनकी वाहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 2 :– आया प्रतिवादीगण द्वारा वादी की आराजी पर कब्जा नाजाइज कर लिया है जिन्हे वादी बेदखल करा पाने का अधिकारी है।

उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर है। विवादित आराजी मुतदाविया में मुताबिक रिपोर्ट पटवारी प्रतिवादीगण एवं अन्य के पुख्ता मकान बने हुये है एवं उसमें निवास कर रहे है तथा राज्य सरकार द्वारा पक्की सडक का निर्माण कर रखा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का मत है कि 12 साल से किसी ने दूसरे की अचल सम्पत्ति पर अवैध कब्जा कर रखा हो तो उसे कानूनी अधिकार मिल जायेगा। उक्त विवेचन के आधार पर तनकी वाहक प्रतिवादीगण विरूद्ध वादी निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 3 :– आया आराजी मुतदाविया पर प्रतिवादीगण का बुजुर्गों के समय से ही अरसा करीब 70–80 वर्षो से आवासीय मकान पुख्ता बने हुये है तथा राज्य सरकार की योजना के तहत पक्की सडक बनी हुई है।

उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर है। जबाब प्रतिवादीगण एवं साक्ष्य में वादी के गवाहान एवं प्रतिवादीगण के गवाहान ने आराजी मुतदाविया में पक्के मकान करीब 70–80 वर्षो से बने हुये है तथा राज्य सरकार की योजना के तहत उक्त आराजी में पक्की सडक बनी हुई है। उक्त विवेचन के आधार पर तनकी वाहक प्रतिवादीगण विरूद्ध वादी निर्णित की जाती है।

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (डीग)

तनकी संख्या 4 :– आया आराजी मुतदाविया में वादी का राजस्व रिकॉर्ड में बिना कब्जे काश्त नाम होना राजस्व कर्मचारियों की कानूनी भूल है।

उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर है। जबाब प्रतिवादीगण एवं साक्ष्य में वादी के गवाहान एवं प्रतिवादीगण के गवाहान ने

Scanned with OKEN Scanner

आराजी मुतदाविया में पक्के मकान करीब 70–80 वर्षो से बने हुये है तथा राज्य सरकार की योजना के तहत उक्त आराजी में पक्की सडक बनी हुई है। उक्त भूमि में आबादी/मौहल्ला बसा हुआ है। उक्त विवेचन के आधार पर तनकी वाहक प्रतिवादीगण विरूद्ध वादी निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 5 :– आया आराजी मुतदाविया करीब 70–80 वर्षो से आवासीय भूमि के रूप में है इसलिए उक्त वाद को श्रीमान्जी को सुनने का क्षेत्राधिकार नही है।

उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर है। जबाब प्रतिवादीगण एवं साक्ष्य में वादी के गवाहान एवं प्रतिवादीगण के गवाहान ने आराजी मुतदाविया में पक्के मकान करीब 70–80 वर्षो से बने हुये है तथा राज्य सरकार की योजना के तहत उक्त आराजी में पक्की सडक बनी हुई है। उक्त भूमि में आबादी/मौहल्ला बसा हुआ है ऐसी स्थिति में उक्त वाद की सुनवाई का हक सिविल न्यायालय को है। उक्त विवेचन के आधार पर तनकी वाहक प्रतिवादीगण विरूद्ध वादी निर्णित की जाती है।

4:– दादरसी :– तनकी संख्या 2,3,4,5 प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित हो गई है ऐसी स्थिति में दावा वादी खारिज किये जाने योग्य है।

अतः आज्ञा है कि :–

उक्त विवेचन के आधार पर दावा वादी खारिज किया जाता है। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो। साथ ही तहसीलदार पहाडी को पाबन्द किया जाता है कि वादी की खाली शेष पडी आराजी पर प्रतिवादीगण या अन्य कोई अवैध कब्जा कर अतिक्रमण नहीं करें। निर्णय प्रति तहसीलदार पहाडी को पालनार्थ भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 22/05/2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुनीता यादव)
उपखण्ड अधिकारी
पहाडी (डीग)

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (डीग)

Scanned with OKEN Scanner

डिगरी व मुकदमे इब्तदाई
(ओ0 20 रू0 6–7 जाप्ता दीवानी)
[Civil Procedure Code Appendix D-I]
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम पहाडी डीग (राज0)
पीठासीन अधिकारी सुनीता यादव आर0ए0एस

मुकदमा नं0 130/2020
सुस्सन पुत्र चाहत जाति फकीर निवासी खल्लूका तहसील पहाडी

वादी

बनाम

1. ईशब पुत्र धांधू
2. मकसूद पुत्र इमरत
3. नसरू पुत्र जौम खां
4. तैय्यव पुत्र इमरत
5. सौराब पुत्र ईशब
6. सत्तार पुत्र जौम खां
7. जमशेद
8. मुगली पिसरान सौराब
9. अब्बास
10. आबिद पिसरान खिल्लू
11. रज्जन पुत्र जौम खां
12. साहिद पुत्र रूजदार
13. अब्जल पुत्र पहलू
14. पहलू पुत्र माम खां जाति मेवान निवासी खल्लूका तहसील पहाडी

प्रतिवादीगण

15. राजस्थान सरकार जरिये भूमि धारक तहसीलदार साहब तहसील पहाडी

फौरमल प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 183,188 आर0टी0 एक्ट

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूवरू मुझ सुनीता यादव आर0ए0एस0 .....व हाजिरी वकील वादीगण मिनजानिव वकील XXXX उपस्थित मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि व डिगरी दी जाती है कि अतः आज्ञा है कि दावा वादी खारिज किया जाता है।

आज ..... X ..... मुबलिग ..... X .....खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व शहर ..... X ..... को सर्दी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयावी ..... X ..... तक अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 22/05 सन् 2024 को जारी की गई ।

दस्तखत .....
ओहदा .....

मुहर

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (डीग)

मुद्दई		रूपया	पैसा	मुद्दालय		रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	.....	2.00		स्टाम्प अरजीदावा	.....		
स्टाम्प वकालतनामा	.....	1.00		स्टाम्प वकालतनामा	.....		
स्टाम्प वजह सबूत	.....	1.00		स्टाम्प वजह सबूत	.....		
महनताना वकील)पर	.....			महनताना वकील)पर	.....		
खर्चा गवाहान	.....			खर्चा गवाहान	.....		
फीस कमिश्नर	.....			फीस कमिश्नर	.....		
बबत इजराय हुक्मनामा	.....			बबत इजराय हुक्मनामा	.....		
मुतफर्रिक	.....			मुतफर्रिक	...		
मीजान	.....	4.00		मीजान	.....		

Scanned with OKEN Scanner